

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)//


क्रमांक/219/2021

झाबुआ, दिनांक 29/04/2021

--: विविध आदेश ::-

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ म.प्र. का आदेश क्रमांक 184/जे.सी./2021 दिनांक 28/04/2021 के द्वारा संपूर्ण जिले में दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आमजन को उक्त बीमारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिनांक 30.04.2021 तक घोषित कोरोना कर्फ्यू को, निरंतरता में दिनांक 10/05/2021 की प्रातः 06.00 बजे तक बढ़ाया गया है।


अतः माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 की कण्डिका 17 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक 210 दिनांक 24.04.2021 द्वारा दिनांक 30.04.2021 घोषित अकार्य दिवस को निरंतरता में दिनांक 10/05/2021 की प्रातः 06.00 बजे तक बढ़ाया जाता है। इन तिथियों में पक्षकारण, साक्षीगण एवं अन्य आमजन का प्रवेश न्यायालय परिसर में निषिद्ध रहेगा, अत्यावश्यक कार्य हेतु मात्र संबंधित अधिवक्ता का प्रवेश ही अनुमत होगा।


(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-झाबुआ (म.प्र.)
झाबुआ, दिनांक 29/04/2021

पृष्ठांकन क्रमांक/834/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
 2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ
 3. समस्त न्यायिक अधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद
 4. सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ
 5. कलेक्टर जिला झाबुआ
 6. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ
 7. जेल अधीक्षक झाबुआ
 8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ
 9. जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद
 10. सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. असिस्टेंट झाबुआ/थांदला
- की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाटसप के माध्यम से सूचित करें।


(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-झाबुआ (म.प्र.)